FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0235 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 13/09/2025 14:22 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 09/09/2025 Date To (दिनांक तक): 11/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 17:00 बजे Time To (समय तक): 17:04 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 13/09/2025 Time (समय): 13:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 13/09/2025 14:22:22 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 5.5 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): POLICE THANA GANGASHAHAR, BIKANER

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** GAURISHANKER SONI
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMESHWARLAL SONI
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	LAKSHMINATH JI GHATI,, DEEPNATAH MANDIR KE PASS, Kotwali Bikaner, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	LAKSHMINATH JI GHATI,, DEEPNATAH MANDIR KE PASS, Kotwali Bikaner, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ARUN KUMAR MISHARA		पिता:RAM SAJEEVAN MISHARA	1. PANCHMUKHI HANMAMJI MANDIR KE PASS,RANI BAZAR,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 10,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट बीकानेर विषय पुलिस थाना गंगाशहर के एएसआई द्वारा रिश्वत मांगने के संबध में महोदय, निवेदन है कि मै गोरीशंकर सोनी पुत्र श्री रामेश्वरलाल सोनी निवासी लक्ष्मीनाथ जी की घाटी, दीपनाथ मन्दिर के पास, बीकानेर का निवासी हूं। मैने अपने घर में दुकान बना रखी है, जिसमें सोने-चांदी का काम करता हूं। नोखा निवासी मनोज पुत्र हड़मान सोनी मेरे दूर की रिश्तेदारी में है तथा जान पहचान है। करीब 01 वर्ष पहले मनोज मेरे से 1.5 लाख रूपये उधार लिये थे, जो अभी तक नही दिये है। दिनांक 07.09.2025 को मनोज मेरे बुलाने पर मेरे घर आया। मैने मनोज को गुस्सा करते हुए उधार दिये रूपये वापिस देने के लिए कहा, बातचीत के दौरान हमारी तु तु-मै, मै हो गई तथा फिर राजीनामा हो गया व मनोज रात को मेरे पास घर पर ही रूका। दिनांक 08.09.2025 को 8-9 बजे मनोज मेरे घर से चला गया। मनोज ने आज दिनांक 09.09.2025 को गंगाशहर थाने में मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि मैने उसके साथ मारपीट की व चांदी तथा नकद राशि, मोबाईल छीन लिया। शिकायत दर्ज करवाने की सूचना मनोज ने मेरे को फोन पर दी थी। इसलिए मै गंगाशहर थाने गया जहां अरूण मिश्रा एएसआई मुझे मिले। मैने शिकायत के सम्बन्ध में बात की तो थानेदार जी ने कहा कि तेरे खिलाफ गंभीर आरोप की शिकायत है, जिसमें जांच कर मुकदमा दर्ज करवाउगां। मुकदमा से बचना चाहता है तो 50,000 रूपये मेरे लिए खर्चे के लेकर आ जा। मैने मनोज के कोई रूपये तथा चांदी नही रखी तथा ना ही मारपीट की। मनोज द्वारा मेरे खिलाफ झूठी शिकायत पर थानेदार अरूण मिश्रा धमकी देकर मुझसे 50,000 रूपये रिश्वत के मांग रहा है। मै उससे रिश्वत नही देकर रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। रिपोर्ट करता हूं आप कानूनी कार्यवाही करें। दिनांक 09.09.25 प्रार्थी एसडी गौरीशंकर गौरीशंकर सोनी पुत्र रामेश्वरलाल सोनी निवासी लक्ष्मीनाथ जी घाटी, दीपनाथ मन्दिर के पास बीकानेर मोबाईल नंबर (कार्यवाही पुलिस दिनांक 09.09.2025 को परिवादी श्री गोरीशंकर सोनी पुत्र रामेश्वरलाल सोनी निवासी बीकानेर ने हाजिर चौकी आकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मन् आशीष कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की। परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर मजीद पूछताछ की गयी तो परिवादी ने बताया कि मनोज सोनी निवासी नोखा द्वारा मेरे खिलाफ पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर में मारपीट करने की शिकायत दी है। उक्त शिकायत की जांच कर मुकदमा दर्ज नही करने एवं शिकायत को रफा दफा करने की ऐवज में गंगाशहर थाने का एएसआई अरूण कुमार मिश्रा मेरे से रिश्वत की मांग कर रहा है। जिसमें मै कार्यवाही करवाना चाहता हॅू। उक्त रिपोर्ट मेरे द्वारा अपने विश्वास पात्र व्यक्ति से कम्प्युटर से लिखा कर लाया हूं। इस पर मेरे हस्ताक्षर है तथा इसमें लिखित तथ्य सही है। परिवादी श्री गौरीशंकर सोनी के प्रार्थना पत्र व मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत की मांग का पाया गया। परिवादी श्री गौरीशंकर सोनी को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन बाबत पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि अरूण जी थानेदार मुझे थाने में मिल सकते है। जिनसे में आज ही जाकर रिश्वत के संबंध में वार्ता कर रिकोर्ड कर सकता हॅू। इस पर चौकी हाजा पर कार्यरत श्री कन्हैयालाल कानि.312 का परिवादी श्री गौरीशंकर सोनी से आपस में परिचय करवाया गया। सरकारी वोयस रिकोर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर वोयस रिकोर्डर को ओपरेट करने की विधि परिवादी को समझाकर जरिये फर्द कानिस्टेबल कन्हैयालाल को सुपूर्द कर आवश्यक निर्देश देकर परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन के लिये गंगाशहर थाना के लिये रवाना किया गया। परिवादी श्री गौरीशंकर सोनी व कानि कन्हैयालाल वापिस चौकी आये व बताया कि थाने में अरूण जी थानेदार नहीं मिले, फोन किया तो उन्होने कहा बाहर इलाके में हुं, आउंगा तब फोन कर दुंगा। वोईस रिकार्डर को सुरक्षित रखकर परिवादी को पांबद कर रूखसत दी गयी। दिनांक 10.09.25 को परिवादी हाजिर चौकी आया जिसे सत्यापन वार्ता के निर्देश देकर कन्हैयालाल कानि. को वोयस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी के साथ सत्यापन वार्ता हेतु पुलिस थाना गंगाशहर भेजा गया। परिवादी श्री गौरीशंकर सोनी व श्री कन्हैयालाल कानि. हाजिर चौकी आये। परिवादी ने बताया कि मै वोयस रिकार्डर लेकर थाने में थानेदार अरूण जी के पास गया जिनसे मेरे काम के संबंध में बात की परन्तु वो किसी आवश्यक सरकारी काम से चले गये व मुझे रूकने की कही। करीब आधा-पोन घण्टा बाद थानेदार जी वापिस आये व मुझे फोन कर थाने के बाहर दूकान पर बुलाया तो मै वोयस रिकार्डर चालू करवा कर थानेदार जी के पास गया व बात की तो थानेदार जी ने कहा कि कुछ लाया है क्या, मैने कहां अभी तो मै आपसे पूछने आया हॅू कि मेरी शिकायत के संबंध में क्या कार्यवाही करोगें तो थानेदार ने हाथ मे पैसे के लिये ईशारा किया तो मैने एक हजार रूपये जो मेरे पास थे, थानेदार जी को दे दिये। अरूण जी ने मेरे से दो लस्सी मंगवायी व कहां कि शाम को मै

आपको फोन कर लूंगा या मै आपकी दूकान पर आ जाउंगा। मेरी व थानेदार जी की उक्त वार्ता को मैने वोयस रिकार्डर में रिकार्ड किया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत वोयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो उपरोक्त वार्ता रिकार्ड होना पायी गयी। वायस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। परिवादी को बाद आवश्यक हिदायत रूखसत दी गयी। दिनांक 11.09.25 को परिवादी गौरीशंकर सोनी हाजिर चौकी आया व बताया कि रात्रि में अरूण जी का फोन आया था परन्तु मैने रिसीव नहीं किया। वोयस रिकार्डर को कानि. कन्हैयालाल को सुपुर्द कर परिवादी गौरीशंकर सोनी के साथ सत्यापन वार्ता हेतु पुलिस थाना गंगाशहर भेजा गया। परिवादी गौरीशंकर सोनी व कन्हैयालाल कानि. बाद सत्यापन हाजिर चोकी आये कानिस्टेबल द्वारा वायस रिकार्डर पेश किया गया। परिवादी ने बताया कि मै गंगाशहर थाने के पास जाकर थानेदार जी को फोन किया तो उन्होने पूछा कि आप कहां हो तो मैने कहा मै थाने के पास हूँ तो कहा कि आप वही रूको मै आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद थानेदार जी ने मुझे वापिस फोन किया तो मै मार्केट की तरफ हूँ। महावीर सर्किल के पास थाने की गाड़ी खड़ी है वहां आ जा। इस पर मै वहां पहुँचा तो थानेदार जी ने मुझे गाड़ी में बैठाकर कहा कि ला ला ला क्या लाया है तो मैने कहा साहब मैं तो आपसे पूछने आया हूँ। आप क्या लोगे मुझे इस मामले से छूटकारा दिलाओ तो थानेदार जी गुस्सा हो गये व मुझे कहां कि तु बार-बार मुझे पूछने के लिये आता है कि क्या देना है मेरे को बेवकूफ समझ रखा है तथा कहा कि गाड़ी मे उतर कर चला जा। मेरे निवेदन करने व पुनः पूछने पर थानेदार जी ने कहा कि जा दस हजार रूपये लेकर के आ जा वरना पछतायेगा। मैने कहा ठीक है साहब मै पैसे की व्यवस्था कर लेकर आता हूँ। थानेदार जी से हुई वार्ता को मैने टेप में रिकार्ड कर लिया है। कानिस्टेल द्वारा प्रस्तुत वायस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद हुयी। वार्ता के अनुसार आरोपी अरूण मिश्रा एएसआई द्वारा दस हजार रूपये रिश्वत की परिवादी से उसके कार्य के लिये मांग करना स्पष्ट है । परिवादी को निर्देश दिये कि आरोपी ने रिश्वत राशी अभी लाने की कही है तो दस हजार रूपये की व्यवस्था कर तुरन्त चोकी उपस्थित होने के लिये रूख्सत किया गया। वक्त 03.15 पीएम पर परिवादी श्री गौरीशंकर सोनी रिश्वती राशि 10,000 रूपये लेकर हाजिर चोकी आया। ट्रेप के आयोजन हेतु दो सरकारी कर्मचारी जिला परिषद बीकानेर से हमराह लेकर कानि. जमील अहमद हाजिर आया। दोनों कर्मचारियों को परिवादी द्वारा करवायी जा रही ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनों ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनों गवाहों को परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया गया जिसे परिवादी ने सही होना बताया। परिवादी गौरीशंकर सोनी द्वारा निर्देशानुसार रिश्वत राशि 10,000 रूपये (500-500 रूपये के 20 नोट) भारतीय मुद्रा के पेश किये जिनका विवरण इस प्रकार है-01.एक पांच सौ रूपये का नोट 9BM 908642, 02.एक पांच सौ रूपये का नोट 7UV 368513, 03.एक पांच सौ रूपये का नोट 3CF 206296, 04.एक पांच सौ रूपये का नोट 2KT 271190, 05.एक पांच सौ रूपये का नोट 9AL 138134, 06- एक पांच सौ रूपये का नोट 2DH 430953, 07- एक पांच सौ रूपये का नोट 5BN 559315, 08- एक पांच सौ रूपये का नोट 3BC 158119, 09- एक पांच सौ रूपये का नोट 9LF 543199, 10- एक पांच सौ रूपये का नोट 8TK 992038, 11- एक पांच सौ रूपये का नोट 0FH 846643, 12- एक पांच सौ रूपये का नोट 2RE 072117, 13- एक पांच सौ रूपये का नोट 5BU 075148, 14. एक पांच सौ रूपये का नोट 7VC 973615, 15- एक पांच सौ रूपये का नोट 6UW 815783, 16. एक पांच सौ रूपये का नोट 0NF 464625, 17. एक पांच सौ रूपये का नोट 3DH 645904, 18- एक पांच सौ रूपये का नोट 3PF 919969, 19- एक पांच सौ रूपये का नोट 2TD 448267, 20- एक पांच सौ रूपये का नोट 6RM 625726, उपरोक्त सभी नोटो को एक अखबार पर रखकर श्री गिरधारीलाल कानि. 63 से हल्का हल्का फिनॉलफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री गौरीशंकर सोनी की जामा तलाशी गवाह श्री बीरबलराम से लिवाई जाकर पाउडर युक्त रिश्वती राशि 10,000 हजार रूपये कानि. गिरधारीलाल से परिवादी श्री गौरीशंकर सोनी के पहनी लोवर की साईड की बांयी जेब में रखवाये गये। परिवादी श्री गौरीशंकर सोनी को निर्देश दिये कि उक्त रिश्वती राशि को आरोपी के मांगने से पूर्व नही छुए तथा आरोपी के मांगने पर अपनी जेब से निकाल कर उसे देवें तथा अपने कार्य के सम्बन्ध में वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर अपने चेहरे पर दो-तीन बार हाथ फेरकर तथा सम्भव हो तो मोबाईल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस्ड कोल कर ईशारा करें। दोनो गवाहान को आवश्यक निर्देश दिये। दोनो गवाहान व परिवादी को फिनॉलफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक क्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। परिवादी श्री गौरीशंकर सोनी को रिश्वत स्वीकृति के ईशारें हेतु उसका मोबाईल दिया गया। परिवादी श्री गौरीशंकर सोनी को रिश्वत लेनदेन के समय आरोपीगण से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी वॉयस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी, सुपर्दगी एवं दृष्टांत फिनॉलफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार की गई। वक्त 4.35 पीएम पर परिवादी श्री गौरीशंकर सोनी व श्री कन्हैयालाल कानि. को परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना कर पीछे-पीछे मै अति. पुलिस अधीक्षक मय गवाह बीरबलराम व उमेश दीक्षित तथा ट्रेप दल सदस्य श्री गिरधारीसिंह उनि., श्री दिलीप कुमार, श्री जमील अहमद, श्री भगवानदास, श्री मनोहरलाल कानिगण व यजवेन्द्रसिंह क.म. के ट्रेप बोक्स, लेपटोप प्रिन्टर इत्यादी हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री गजेन्द्रसिंह तथा प्राईवेट वाहन के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही रवाना पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर के लिये रवाना होकर पुलिस थाना गंगाशहर से पहले सर्किल पर पहुँचा। परिवादी गौरीशंकर सोनी को आरोपी से

सम्पर्क करने थाने के लिये रवाना किया तथा मै अति.पु.अ. व ट्रेप दल सदस्य एक एक दो दो टीम में रवाना होकर पुलिस थाने के आस पास मुकिम हुए। परिवादी श्री गौरीशंकर सोनी द्वारा रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा वक्त 5.04 पीएम पर करने पर मै अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान को साथ लेकर तुरन्त ही पुलिस थाना गंगाशहर के मुख्य द्वार में प्रवेश हुआ तो चौक में सामने तीन कुर्सिया है। जिनके पास परिवादी गौरीशंकर सोनी व एक अन्य व्यक्ति सफारी सूट पहने खड़ा है। परिवादी के पास पहुँचने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पास खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही अरूण जी मिश्रा थानेदार है। इन्होने अभी अभी यहां कुर्सी पर बैठे बैठे मेरे से रूपये मांगे तो मैने मेरी जेब से निकालकर दस हजार रूपये इनको दिये तो इन्होने रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर बांये हाथ में पकड़ी एक फाईल के अन्दर रख लिये। इस पर परिवादी के पास खड़ा व्यक्ति एकदम से घबरा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस व्यक्ति को अपना परिचय देते हुए परिचय पूछा तो इसने अपना नाम अरूण कुमार मिश्रा एएसआई पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर बताया। अरूण कुमार को परिवादी गौरीशंकर से ली गयी रिश्वत राशी बाबत पूछा गया तो अरूण कुमार ने कहा कि मैने इससे कोई पैसे नही लिये है तथा ना ही गौरीशंकर का मेरे पास कोई काम पैण्डिंग है। अरूण कुमार एएसआई के पास रखी कुर्सी पर रखे नोटो को गवाह श्री उमेश दीक्षित से उठवाकर गिनवाये तो 500-500 रूपये के 20 नोट कुल दस हजार रूपये पाये गये। उक्त राशी के बारे में पूछने पर अरूण कुमार मिश्रा एएसआई ने बताया कि यह रूपये मुझे गौरीशंकर सोनी ने दिये है, परन्तु इसका मेरे पास कोई काम पैण्डिग नही है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आदेश से अरूण कुमार एएसआई के दांये व बांये हाथ को क्रमशः यजवेन्द्रसिंह क.स. व कन्हैयालाल कानि. ने कलाईयो से पकड़ लिये। अरूण कुमार मिश्रा एएसआई को थानाधिकारी के कक्ष में लाकर बैठाया गया तथा रिश्वत लेने के अपराध से अवगत करवाकर गिरफतार करने बाबत पत्र संख्या एसपीएल 1 दिनांक 11.09.2025 अरूण कुमार मिश्रा सहायक उप निरीक्षक को दिया गया। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो डिस्पोजेबल गिलासो में पानी भरकर दोनो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी अरूण कुमार एएसआई के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को काच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सील चिट बन्द कर मार्क R-1,R-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा एसीबी लिया गया। दुसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी अरूण कुमार एएसआई के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया। गिलास के इस मिश्रण को काच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सील चिट बन्द कर मार्क L-1,L-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा एसीबी लिया गया। एक डिस्पोजेबल गिलास में साफ पानी भरकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया। दोनो गवाहान के समक्ष गिलास के घोल में कपड़े के टुकड़े को डूबोकर थाने के चौक में रखी कुर्सिया जिसमें एक कुर्सी पर से रिश्वती राशी बरामद हुयी उस स्थान को दो-तीन बार पौंछकर कपड़े के टूकड़े को गिलास में निचोड़ा गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को काच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सील चिट बन्द कर मार्क C-1,C-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा एसीबी लिया गया। रिश्वति राशि रखी कुर्सियों के स्थान का कपड़े के जिस टुकड़े से पोछ कर धोवन लिया गया, उक्त कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े को एक लिफाफा में सील्ड कर मार्क X अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। चौक में रखी कुर्सियो पर से बरामद रिश्वती राशी दस हजार रूपये जो गवाह उमेश दीक्षित से उठवायी गयी थी। उक्त बरामद रिश्वत राशी के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द सुपर्दगी नोट में अंकित नम्बरो से दोनो गवाहो द्वारा मिलान करवाया गया तो बरामद नोटो के नम्बर वही पाये गये। बरामद रिश्वत राशी के नोटों को खुले कपड़े में सील्ड कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी अरूण कुमार मिश्रा एएसआई ने बताया कि आज दोपहर में गौरीशंकर सोनी ने थाने के बाहर दूकान पर से मुझे फोन करके पूछा तो मैने कहा कि मै तफ्तीश में बाहर आया हुआ हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तु मुझे महावीर सर्किल के पास होटल में मिल जाना। इस पर गौरीशंकर सोनी होटल पर मेरे पास आया। गौरीशंकर ने मुझसे क्या पूछा अब मेरे याद नही है मैने कहा शाम को आ जाना, इसके अतिरिक्त गौरीशंकर व मेरी कोई वार्ता नही हुयी। इस पर हाजिर परिवादी गौरीशंकर ने बताया कि थानेदार जी झूठ बोल रहे है। मै दोपहर में गंगाशहर थाने में आया तो अरूण जी मुझे नही मिले मैने फोन किया तो बताया कि थाने में ही हूँ। थाने के बाहर राशन की दूकान के पास आने की कही, फिर मेरे पास फोन आया कि महावीर सर्किल पर होटल के पास आ जा, इस पर मै महावीर सर्किल के पास होटल पर गया तो थानेदार जी ने मुझे अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाया व कहा कि लाया है क्या मैने कहा आप बताओ तो सही, क्या लाकर दू। इस मामले से मेरा पीछा छुड़ाओ जिस पर थानेदार जी बाते करते करते गुस्सा भी हुए तथा कहा कि दस हजार रूपये लेकर आ जा। उक्त वार्ता के बाद मैने कहा कि अभी घंटा-दो घंटा में लेकर आ रहा हूँ तथा मै चला गया। मै थानेदार अरूण जी के कहेनुसार दस हजार रूपये लेकर पुनः थाने आया तो थानेदार जी थाने के चौक में मंदिर के पास खड़े थे। थानेदार जी मेरे से बात करते करते चौक में रखी कुर्सियो के पास आकर खड़े हो गये तथा मुझे कहा कि ले आया क्या मैने कहा ले आया तथा मैने अपनी लोवर की जैब मे रखे दस हजार रूपये निकालकर थानेदार अरूण जी को दिये। जिन्होने मेरे से रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर बांये हाथ में पकड़ी फाईल में रख लिये। यह दस हजार रूपये मैने थानेदार जी को मनोज

सोनी निवासी नोखा के द्वारा मेरे खिलाफ की गयी शिकायत को रफा दफा करने की कहने पर इनको मांगने पर रिश्वत के दिये है। आरोपी अरूण कुमार मिश्रा एएसआई ने बताया कि गौरीशंकर सोनी को करीब एक साल से जानता हूँ। गौरीशंकर व मेरा आपस में कोई उधार का लेनदेन नही है। इसके खिलाफ मनोज सोनी निवासी नोखा नाम के व्यक्ति द्वारा दिनांक 08.09.2025 को कोई शिकायत थाने में नही दी। दिनांक 08.09.2025 को थाने में मै दिन में डयूटी ओफिसर था। उस दिन गौरीशंकर सोनी थाने में मेरे पास आया कि नही आज मुझे याद नही है। परिवादी गौरीशंकर सोनी के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में थाना एचएम मांगीलाल हैड कानि. को बुला कर पूछा गया तो एचएम ने बताया कि मनोज सोनी निवासी नोखा द्वारा गौरीशंकर सोनी निवासी बीकानेर के नाम से कोई रिपोर्ट थाना हाजा के रिकोर्ड में दर्ज नही है। थाने के परिवाद रजिस्टर का अवलोकन किया गया तो परिवादी गौरीशंकर सोनी के विरूद्व कोई परिवाद/शिकायत दर्ज नही पाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशी अलग से तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में जब्त वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील की फर्द नमुना सील अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी अरूण कुमार मिश्रा सउनि पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर को अपराध से अवगत करवाकर हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। परिवादी गौरीशंकर व आरोपी अरूण कुमार मिश्रा के मध्य रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट अलग से तैयार की गयी। उक्त वार्ता को दो पैन ड्राईव में कोपी किया गया। वोयस रिकार्डर के मैमारी कार्ड व एक पैन ड्राईव को कपडे की अलग अलग थैली में सील्ड कर मार्क क्रमशः D व D-1 अंकित कर कब्जा में लिया गया। एक पैन ड्राईव को खुला रखा गया। ट्रेप कार्यवाही में आरोपी अरूण कुमार सउनि के दोनो हाथों व रिश्वती राशि बरामदगी स्थल एवम् पूछताछ में की गयी वीडियोग्राफी को दो पैन ड्राईव में कोपी किया गया। कैमरे के मैमारी कार्ड व एक पैन ड्राईव को कपडे की अलग अलग थैली में सील्ड कर मार्क क्रमशः B व B-1 अंकित कर कब्जा में लिया गया। एक पैन ड्राईव को खुला रखा गया। मौके पर ट्रेप कार्यवाही पुर्ण कर मैं अति. पुलिस अधीक्षक मय समस्त जाब्ता, दोनो गवाहान, परिवादी एवं गिरफ्तार मुल्जिम अरूण कुमार मिश्रा व ट्रेप कार्यवाही में जब्त समस्त वजह सबूत के रवाना होकर चौकी एसयू बीकानेर पहुँचा। परिवादी गौरीशंकर ने बताया कि उसके घर से फोन आया है। मुझे आवश्यक कार्य से घर जाना है। अतः रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द आईन्दा बनाने के लिये परिवादी व दोनो गवाहो को पाबन्द कर रूखसत दी गयी। ट्रेप कार्यवाही में जब्त वजह सबूत यथा धोवन की 6 सील्ड शिशियो, दस हजार रूपये रिश्वती राशी सील्ड, वक्त लेन-देन वार्ता का मेमोरी कार्ड व दो पैन ड्राईव, ट्रेप कार्यवाही की विडियोग्राफी का मेमोरी कार्ड व दो पैन ड्राईव व धोवन में प्रयुक्त कपड़े का एक सील्ड लिफाफा जरिये प्रभारी मालखाना श्री अशोक कुमार सउनि के जमा मालखाना करवाये गये। दिनांक 12.09.2025 को वक्त 8 एएम पर परिवादी गौरीशंकर सोनी एवं स्वतन्त्र गवाहान बीरबलराम, उमेश दीक्षित उपस्थित चौकी आये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास रखे सुरक्षित डिजिटल वोयस रिकोर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी के कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कर श्री कन्हैयालाल कानि.312 की सहायता से रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09,9,10 व 11.09.2025 को सुन सुन कर फर्द ट्रासक्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता तैयार की गयी। वोयर रिकार्डर की मैमोरी कार्ड की वार्ताओं को दो पैन ड्राईव में कोपी कर मैमारी कार्ड व एक पैन ड्राईव को कपडे की अलग अलग थैली में सील्ड कर मार्क क्रमशः A व A-1 अंकित कर कब्जा में लिया गया। एक पैन ड्राईव को खुला रखा गया। उक्त वजह सबूत प्रभारी मालखाना श्री अशोक कुमार सउनि के जमा मालखाना करवाये गये। दोनों गवाहों व परिवादी गौरीशंकर के हमराह पुलिस थाना गंगाशहर पहुंच घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में समय समय पर की गयी कार्यवाही का रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। अब तक की समस्त कार्यवाही के तथ्यो से पाया गया कि परिवादी श्री गोरीशंकर सोनी पुत्र श्री रामेश्वरलाल सोनी निवासी लक्ष्मीनाथ जी की घाटी दीपनाथ मन्दिर के पास बीकानेर की मनोज सोनी निवासी नोखा जिला बीकानेर से दिनांक 07.09.2025 को उधार दिये रूपये वापिस मांगने बाबत हुई कहासुनी व अनबन पर मनोज सोनी द्वारा उसके विरूद्ध दिनांक 09.09.2025 को पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर में श्री अरूण कुमार मिश्रा एएसआई को शिकायत देने की कहने पर परिवादी गौरीशंकर सोनी द्वारा पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर जाकर श्री अरूण कुमार मिश्रा एएसआई से वार्ता की तो उक्त एएसआई ने गौरीशंकर सोनी को उसके विरुद्ध शिकायत की जांच में कोई कार्यवाही नही करने की एवज में पचास हजार रूपये रिश्वत देने का कहा गया। दिनांक 11.09.2025 को सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी गौरीशंकर द्वारा बार-बार निवेदन करने पर अरूण कुमार मिश्रा एएसआई द्वारा धमकी देकर दस हजार रूपये अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न रिश्वत की परिवादी से मांग की गयी तथा मांग के अनुसरण में दिनांक 11.09.2025 को आरोपी अरूण कुमार मिश्रा एएसआई द्वारा पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर में परिवादी गौरीशंकर सोनी से दस हजार रूपये प्राप्त करने पर अरूण कुमार मिश्रा एएसआई को रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी श्री अरूण कुमार मिश्रा एएसआई का उक्त कृत्य धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः श्री अरूण कुमार मिश्रा एएसआई पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर को प्रेषित है। (आशीष कुमार) अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो (एसयू) बीकानेर..........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त

टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आशीष कुमार अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो (एसयू) बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) में आरोपी श्री अरुण कुमार मिश्रा पुत्र श्री राम सजीवन मिश्रा जाति ब्राह्मण निवासी पंचमुखी हनुमानजी मन्दिर के पास रानी बाजार बीकानेर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना गंगाशहर बीकानेर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती पिंकी गंगवाल , पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (एसयू) बीकानेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 240 पर अंकित है।(महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1341-44 दिनांक 13-09-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। 3- पुलिस अधीक्षक जिला बीकानेर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (एसयू) बीकानेर ।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PINKI GANGWAL **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	28/05/1969				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)